न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 48/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/56

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री कचरु लाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 16, शिल्पी मोहल्ला, तलवाडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स गोकुल दूध डेयरी एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, शिल्पी मोहल्ला तलवाडा, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15–03–2023 को 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स गोकुल दूध डेयरी एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, शिल्पी मोहल्ला तलवाडा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री कचरु लाल शर्मा** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान्** की उपस्थिति में **मैसर्स गोकुल दूध डेयरी एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, शिल्पी मोहल्ला तलवाडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान/ रेस्टोरेंट में **दही (लूज) लगभग 8 किलो फ्रिज में स्टील की टंकी में** रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **दही (लूज) 1 किलो** मिलाकर एक मेल कर/ मूल एक साफ सुखे व खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर/ नपवाकर करते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत [illegible] विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **दही (लूज) 1 किलो** [illegible] खाली बोतलो में [illegible] बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में प्रिजर्वेटीव फॉर्मेलीन की 25–25 बुन्दे डालकर एयरटाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:09:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला-कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1347** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे एवं सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का संपूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/222 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 338 दिनांक 24–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दही (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1347** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **दही (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–06–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17–07–2023 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 01-08.2023 को अप्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह झुला अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 11.09.2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:09:49 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/222 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 338 दिनांक 24–03–2023 अनुसार विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दही (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1347** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **दही (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री कचरु लाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 16, शिल्पी मोहल्ला, तलवाडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स गोकुल दूध डेयरी एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, शिल्पी मोहल्ला तलवाडा, बांसवाडा को रूपये 40,000/– (अक्षरे रू चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:09:49 IST
Reason: SelfAttested